न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– कमल राम मीना, आर.ए.एस.

अपील सं0:–74/2015 **(223 आर.टी.एक्ट)**

उनवान

1. मुरारीलाल पुत्र स्वर्गीय गिर्राज जाति हैवासी ब्राहमण निवासी ग्राम बदनगढ़ी तहसील कठूमर जिला अलवर राज0 वारिस काबिज जायदाद मृतक गिर्राज पुत्र बिरजा जाति हैवासी ब्राहमण निवासी ग्राम बदनगढ़ी तहसील कठूमर जिला अलवर राज0 प्रतिवादी नं0 5

.....अपीलांट

बनाम

1. किशोरीलाल पुत्र प्यारेलाल नबीरा बिरजा जाति हैवासी ब्राहमण निवासी ग्राम बदनगढ़ी तहसील कठूमर जिला अलवर राज0 ।

..... असल रेस्पो0/वादी

2. मथुरा पुत्र मंगल,
3. हरिप्रसाद पुत्र मंगल,
4. त्रिलोक पुत्र रामचरण,
5. राजाराम पुत्र सांवलिया,
6. किस्तुरी पुत्री सांवलिया – मृतक
7. जसोदा पुत्री सांवलिया – मृतक
8. ढकेली पुत्री सांवलिया,
9. गणेशी पुत्र प्रभू,
10. रामगोपाल पुत्र प्रभू,
11. गोविन्दराम पुत्र स्व0 रामकिशोर,
12. बृजभूषण पुत्र स्व0 रामकिशोर,
13. भूदेव पुत्र स्व0 रामकिशोर,
14. महेश पुत्र स्व0 रामकिशोर जाति हैवासी ब्राहमण निवासीययान ग्राम बदनगढ़ी तहसील कठूमर जिला अलवर राज0 ।
15. रतीराम पुत्र स्व0 भगवान,
16. लक्ष्मण पुत्र स्व0 भगवान,
17. कुन्दलाल पुत्र स्व0 भगवान जाति हैवासी ब्राहमण निवासीयान ग्राम बदनगढ़ी तहसील कठूमर जिला अलवर राज0 ।
18. भगवती पुत्र स्व0 भगवान पत्नि ठाकुर लाल जाति हैवासी ब्राहमण निवासी रामनगर तहसील कठूमर जिला अलवर राज0 ।

17/11/17

19. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार कठूमर बहैसियत लैण्ड होल्डर ।

..... तरतीबी रेस्पो0

उपस्थित :–

1. श्री उमाशंकर खण्डेलवाल / श्री श्योरामसिंह नरूका अभिभाषक अपीलांट ।
2. श्री दशरथसिंह नरूका अभिभाषक असल रेस्पो0 सं0 1

::: निर्णय :::

दिनांक :–17.11.2017

यह अपील विद्धान उपखण्ड अधिकारी कठूमर के निर्णय व डिक्री दिनांक 12.08.2015 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी/असल रेस्पो0 ने अधीनस्थ न्यायालय में एक वाद तकसीम वो हुक्म ईम्तनाई दवामी इस आशय का प्रस्तुत किया कि आराजी ख0 नं0 1, 2, 4, 5, 6, 7, 19, 21, 22, 27, 39, 40, 91, 95, 98, 99, 109, 129, 131, 132, 189, 190, 210, 211, 220, 226, 227 कुल किता 27 रकबा 10 है0 97 ऐयर ख0 नं0 44 रकबा 0.03 है0 के 1/4 ख0 नं0 42 व 43 किता 2 रकबा 1.44 है0 का 1/4 हिस्सा दर हिस्सा 30/57 ख0 नं0 20 रकबा 0.05 है0 का 1/4 हिस्सा ख0 नं0 37 रकबा 0.05 है0 का 1/8 हिस्सा यानि एक बैल वाके ग्राम बदनगढ़ी की संयुक्त कब्जे काश्त खातेदारी की दर्ज रेकार्ड आराजी है, शेष हिस्सा प्रतिवादीगण की खातेदारी में दर्ज रेकार्ड है जिस आराजी का अभी कानूनी तकासमा नहीं हुआ है । उक्त आराजी अबट आराजी है । वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य विवादित आराजी पर शामलात में काश्त करना सम्भव नहीं है । इस वजह से वादी विवादित आराजी का कानूनी तकासमा कराना चाहता है । वादी ने प्रतिवादीगण से विवादित आराजी के कानूनी तकासमा बाबत कहा तो प्रतिवादीगण ने साफ इन्कार कर दिया । प्रतिवादीगण जबरदस्त व्यक्ति है जो विवादित आराजी पर वादी के संयुक्त कब्जे काश्त में बाधा पैदा करते हैं । अतः वादी ने विवादित आराजी के कानूनी तकासमा कराने व प्रतिवादीगण को पाबन्द करने का निवेदन किया । तहत न्यायालय ने दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तलब किया जिन्होंने उपस्थित होकर जवाब दावा पेश किया । विद्धान तहत न्यायालय ने दोनों पक्षों की बहस सुनकर दि0 12.08.2015 को वादी का वाद प्राथमिक रूप से डिक्री कर दिया जिस निर्णय व प्राथमिक डिक्री दि0 12.08.2015 से व्यथित होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है ।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पो0 को जर्ये सम्मन तलब किया गया । तहत अदालत की पत्रावली तलब करते हुए विद्धान अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी ।

उभयपक्ष के अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी । अपीलांट अभिभाषक ने बहस की शुरूआत करते हुए अपील के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि रेस्पो0/वादी किशोरी ने तकसीम आराजी का दावा तहत न्यायालय में पेश किया जिसमें प्रारम्भिक डिक्री पारित की गई । रेस्पो0 सं0 5 गिर्राज, रामकिशोर और भगवान, किस्तुरी, जसौदा प्रारम्भिक डिक्री के पहले ही फौत हो गये । अतः यदि कोई प्रतिवादी मर जाता है तो वादी का कर्तव्य है कि वह उनको रेकार्ड पर लेने हेतु प्रार्थना पत्र पेश करता । परन्तु वादी ने तथ्य छुपाये रखें और

17/11

प्रारम्भिक डिक्री पारित करवा ली । उक्त उज्र मैंने अपील के बिन्दु सं0 10 में लिया है और इस बात का खण्डन रेस्पो0/वादी ने नहीं किया । यदि कोई पक्षकार मर जाता है और उसके विरूद्ध कोई डिक्री पारित हो जाती है तो वह डिक्री शून्य होगी ।

बहस जारी रखते हुए आगे कहा कि राजाराम ने एक उज्रदारी पेश की उसका भी कोई आदेश पारित नहीं किया गया और प्रारम्भिक डिक्री जारी कर दी । कुरेजात रिपोर्ट दि0 22.9.2015 में मृतकों के नाम लिखे हैं । इसलिए तहत न्यायालय का निर्णय व डिक्री त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त योग्य है और अपीलांट की अपील तहत न्यायालय को प्रतिप्रेषित की जावें । उन्होंने अपने समर्थन में आर.आर.डी. 2000 पेज 498, आर.आर.टी. 2008 पेज 1216, डी.एन. जे. 2016 पेज 927 व आर.आर.टी. 2017 पेज 1047 प्रस्तुत की ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट श्री श्योरामसिंह ने कथन किया कि यह निर्णय निर्णय की तारीफ में नहीं आता है । मृतकों के खिलाफ निर्णय पारित किया है । प्रकरण में तनकीयात कायम करनी चाहिए थी । इसलिए तहत न्यायालय का निर्णय गलत है और अपीलांट की अपील मंजूर की जावें ।

रेस्पो0 अभिभाषक ने बहस जवाब में कथन किया कि अपीलांट की अपील मैन्टनेबिल नहीं है क्योंकि पक्षकार अपील कर सकते हैं । इसमें 96 का प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया गया है । इनकी अपील और मीमों में कही भी ये नहीं लिखा कि निर्णय व डिक्री में क्या गलती की है । इनका दावा 53 एवं 188 आर.टी.एक्ट का है इसमें जितने भी सह खातेदार होते हैं वो अपना हिस्सा प्राप्त करते है । अपीलांट ने इस तथ्य को कभी भी नहीं बताया कि कौन व्यक्ति कब मर गया है तथा बयानों में भी कोई आब्जेक्शन नहीं किया । अपीलांट के अभिभाषक हमेशा पैरवी के लिए न्यायालय में आये हैं । दावा 53 एवं 188 आर.टी.एक्ट में मृतक को पक्षकार नहीं हटाया तो भी उसके वारिसान के नाम रेकार्ड में है । अंतिम कुरे रिपोर्ट में सभी नाम आ जाते हैं । नियम यह है कि यदि तकसीम के दावे में मृतक के खिलाफ यदि कोई डिक्री पारित की है तो प्रभावी नहीं है तथा उसके वारिसान को पक्षकार माना जावेगा । तहत न्यायालय के निर्णय में अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी का ही तो हिस्सा किया है । केवल अपीलांट ने ही ऑब्जेक्शन किया है । किसी और ने नहीं किया है । प्रारम्भिक डिक्री में ही यह आपत्ति क्यों है, अंतिम डिक्री में आपत्ति पेश करते तो कहते । बहस जवाब में रेस्पो0 अभिभाषक का कथन है कि उनका पक्षकार अपनी आराजी को अलग से बंटवारा कराना चाहता है परन्तु अन्य सह खातेदार जानबूझकर देरी कर रहे हैं । अतः उनका शीघ्र से शीघ्र बंटवारा किया जाना चाहिए । इनके द्वारा प्रस्तुत नजीरें इस पर लागू नहीं होती है ।

इसलिए अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री उचित है जिसमें कोई कानूनी त्रुटि नहीं है और अपीलांट की अपील खारिज योग्य है ।

जवाब उल जवाब में विद्वान अभिभाषक अपीलांट का कथन है कि सैक्शन 96 के संबंध में हम गिर्राज के फुट स्टेप पर आये हैं । इसलिए सैक्शन 96 के प्रार्थना पत्र की कोई आवश्यकता नहीं है । मेरा मुख्य तर्क यह है कि गिर्राज का निधन 7.5.2012 को हो गया तथा उसके वारिसान को रेकार्ड पर नहीं लिया गया । द्वितीय वादी का कर्तव्य है कि मरे हुए की सूचना क्यों नहीं दी । सैक्शन 53, 188 में जहां तक मृतक का संबंध है इसमें कहा लिखा है कि आदेश 22 नियम 3 एवं आदेश 22 नियम 4 लागू नहीं होता है । कुरेजात के

संबंध में कहना है कि मुझे प्रारम्भिक डिक्री के विरूद्ध अपील करने का अधिकार है तथा अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी का लेने का प्रावधान है । इसलिए अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त योग्य है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जावें ।

हमने पत्रावली तथा निर्णय का अवलोकन किया तथा अपील के बिन्दुओं का अवलोकन किया तथा उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया तथा प्रस्तुत नजीरों का ससम्मान अवलोकन किया ।

प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री में मृतक के वारिसान को पक्षकार नहीं बनाया है । जहां तक अपीलांट द्वारा अपील का प्रश्न है गिर्राज चूंकि फौत हो गया है । अतः उन्हें अपील का अधिकार है । अतः सी.पी.सी. के प्राथना पत्र 96 की आवश्यकता नहीं है । कुरे रिपोर्ट प्राप्त होने पर जो अंतिम डिक्री जारी की जाती उसमें मृतक के वारिसान को पक्षकार बनाकर उनके नाम से उनके हिस्से अनुसार खातेदारी अलग से प्रदान की जा सकती है ।

परन्तु इसमें पक्षकारों को भी चाहिए कि उनके द्वारा वाद के पक्षकारों के फौत होने पर अदालत को सूचना दी जावें और उन्हें रेकार्ड पर लिया जावें । तहत न्यायालय को अवगत नहीं कराने के कारण मृतक को पक्षकार मानते हुए प्रारम्भिक डिक्री पारित की है । चूंकि प्रारम्भिक डिक्री जो पारित की जाती है उसमें सह खातेदारों को उनके हिस्से अनुसार अलग–अलग खाता व लगान कायम करने हेतु आदेश जारी किये जाते हैं तथा प्राप्त कुरे रिपोर्ट व हिस्से अनुसार अलग–अलग खसरा नम्बरान अंकित करते हुए जो रिपोर्ट दी जाती है उस पर आपत्ति हो सकती है । ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दि0 12.8.2015 में आंशिक संशोधन के आदेश दिये जाते हैं और प्रकरण तहत न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है ।

अतः अपीलांट की अपील आंशिक स्वीकार की जाती है तथा तहत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर के निर्णय व डिक्री दि0 12.08.2015 में आंशिक संशोधन करने के आदेश दिये जाते हैं तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे मृतक खातेदारों के वारिसान को पक्षकार मुकदमा बनाकर नयी प्रारम्भिक डिक्री पारित करें तथा तहसीलदार को आदेशित करें कि वे जारी प्रारम्भिक डिक्री अनुसार सह खातेदारों के मध्य उनके हिस्से अनुसार तथा मौके पर कब्जे काश्त, रास्ता आदि के प्रावधानों को देखते हुए तथा उभयपक्षों को मौके पर उपस्थिति करते हुए टिनेन्सी एक्ट के नियमों के नियम 18 से 21 की पालना कराते हुए सक्षम अधिकारी (तहसीलदार) से अलग–अलग हिस्से अनुसार कुरे रिपोर्ट प्राप्त करके अंतिम डिक्री तीन माह में जारी करें । खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें ।

निर्णय आज दिनांक 17.11.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

17.11.17

(कमल राम मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अलवर